न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S.-476/2013
C.I.S.-306/2015

10.06.2022 वादी तथा प्रतिवादी सं०–1 से 4 एवं 5 की ओर से हाजरी दी गई है। वादी की ओर से साक्षी सं०–3 गिरीश कुमार का शपथ पर ब्यान दाखिल किया गया है। कॉपी प्रतिवादी को दी गई है साथ में ही वादी की ओर से पुनः एक आवेदन पत्र **U/o-6 Rule-17 R/W Section 151 C.P.C.** दाखिल किया गया है। कॉपी प्रतिवादी को दी गई है।

वादी तथा पतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि वाद में वादी की गवाही है अतः गवाही का प्रति परीक्षण करवाया जाय तथा साथ ही वादी के आवेदन **U/o-6 Rule-17 R/W Section 151 C.P.C.** को प्रतिउत्तर हेतु रखा जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि संशोधन आवेदन पत्र वाद पत्र से संबंधित है। वाद पत्र में संशोधन आवेदन पर बिना आदेश पारित किये साक्षी का प्रतिपरीक्षण न्यायोचित नहीं होगा। अतः साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने में प्रतिवादी असमर्थ है।

वादी तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकनन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद वादी के साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। वादी की ओर से आज भी साक्षी का शपथ पर ब्यान तथा संशोधन आवेदन पत्र दोनों एक साथ दाखिल किया गया है।

वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन पत्र वाद पत्र से संबंधित है ऐसी स्थिति में संशोधन आवेदन पत्र पर उचित आदेश पहले पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपस्थित वादी साक्षी को बिना साक्ष्य लिये वापस किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र पर प्रतिउत्तर अगली तिथि को अवश्य दाखिल करें। वाद दिनांक ...4.8.22..... वास्ते संशोधन आवेदन पत्र पर प्रतिउत्तर दाखिल करने तथा सुनवाई हेतु।

अवर न्यायाधीश, प्रथम
पटना सिटी